न्यायालय सहायक कलक्टर बडीसादडी जिला चित्तौडगढ

. पीठासीन अधिकारी :– प्रवीण कुमार मीणा आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या :– 6/2019 ई.रे. दिनांक 23.12.2025

1. रामकन्या बाई पत्नी रामचन्द्र मेघवाल निवासी पालाखेड़ी तहसील बड़ीसादड़ी
2. विष्णु कुमारी पिता रामचन्द्र नाबालीग जरिये सरपरस्त माता श्रीमती रामकन्या बाई पत्नी रामचन्द्र मेघवाल तहसील बड़ीसादड़ी
3. विकाश पिता रामचन्द्र नाबालीग जरिये सरपरस्त माता श्रीमती रामकन्या बाई पत्नी रामचन्द्र मेघवाल निवासी पालाखेडी तहसील बडीसादड़ी
4. दशरथ पिता रामचन्द्र नाबालीग जरिये सरपरस्त श्रीमती रामकन्या बाई पत्नी रामचन्द्र मेघवाल निवासी पालाखेड़ी बडीसादड़ी

– प्रार्थीगण

बनाम

1. रामचन्द्र पिता धन्ना मेघवाल निवासी पालाखेड़ी तहसील बडीसादड़ी
2. घीसीबाई पत्नी धन्ना मेघवाल निवासी पालाखेड़ी तहसील बड़ीसादड़ी
3. राज्य सरकार जरिये भूमिधारी तहसीलदार बड़ीसादड़ी

–अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अंर्तगत धारा 212 आर.टी.एक्ट

उपस्थित– श्री आर. एस. झाला वकील प्रार्थीगण

–:: आदेश::–

प्रार्थीगण की ओर सें प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि –

1. प्रार्थीगण ने उक्त उनवान का एक वादपत्र बाबत स्थायी निषेधाज्ञा का न्यायालय आप मे पेश किया है किन्तु उसके अन्तिम निस्तारण मे समय लगने की पुर्णसंभावना है जिस कारण उक्त प्रार्थना पत्र निम्न आधारों पर पेश है।
2. खाता सं. 214 की आराजी नं. 348 रकबा 0.38 हैक्टेयर, आराजी नं. 382 रकबा 0.02 है, आराजी नं. 400/694 रकबा 0.80 है, कुल किता 3 रकबा 1.20 है., कुल लगानी 31.16 रूपये ग्राम पालेखेड़ी प.ह. भाणुजा तह. बड़ीसादड़ी में स्थित है। उक्त आराजीयात को प्रार्थनापत्र में वादग्रस्त आराजीयात के नाम से सम्बोधित किया जायेगा।
3. प्रार्थीया नं. 1 रामकन्या अप्रार्थी 1 रामचन्द्र की विवाहित पत्नी है प्रार्थीया नं.2 विष्णु कुमारी अप्रार्थी 1 रामचन्द्र की जायन्दा पुत्री है प्रार्थी नं. 3 विकाश अप्रार्थी 1 रामचन्द्र की जायन्दा पुत्र है प्रार्थी नं. 4 दशरथ अप्रार्थी 1 रामचन्द्र की जायन्दा पुत्र है।
4. प्रार्थीगण अप्रार्थी नं. 1 की पत्नी का जायन्दा बच[illegible] रामचन्द्र जी उक्त आराजीयात पैतृक पुश्तैनी है जिसमे प्रार्थीगण का जन्म से हक हिस्सा निहित है किन्तु अप्रार्थी नं. 1 रामचन्द्र अप्रार्थीया नं. 2 घीराबाई ने जान–बुझ कर वादग्रस्त आराजीयात [illegible] राजस्व रिकार्ड मे प्रार्थीगण का नाम दर्ज नही कराया था जबकि प्रार्थीगण का वादग्रस्त आराजीयात में अधिकार निहित है जिस कारण वादग्रस्त आराजीयात में प्रार्थीगण का नाम दर्ज रिकार्ड [illegible] दर्ज कर घोषित किया जाना न्यायोचित है

Signature Not Verified
Digitally signed by Praveen Kumar Meena
Date: 2026.03.27 10:23:40 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर
बड़ीसादड़ी

तथा इसी अनुसार प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण के बीच वादग्रस्त आराजीयात में हक हिस्से अनुसार बटवाडा कर प्रार्थीगण का खाता पृथक किया जाना न्यायोचित है।

5. वादग्रस्त आराजीयात अप्रार्थीगण नं. 1 व 2 के नाम दर्ज रिकार्ड है जिसका फायदा उठाकर अप्रार्थीगण प्रार्थीगण को उसके हक हिस्से से महरून रखना चाहते है जबकि प्रार्थीगण का उक्त वादग्रस्त आराजीयात में जन्म से ही हक हिस्सा निहित है फिर भी अप्रार्थीगण प्रार्थीगण को उसके हक हिस्से की आराजीयात से मेहरून करने की गरज से वादग्रस्त आरजीयात को विक्रय हस्तारण व खुर्द बुर्द करने पर आमदा है जिस कारण अप्रार्थीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया आवश्यक है कि वह वादग्रस्त आरजीयात को रहन विक्रय तथा खुर्द बुर्द न करे न करावे तथा राजस्व रिकार्ड कि यथास्थिति बनाये रखे।
6. वाद कारण करिब 1 माह पुर्व उत्पन्न हुआ जब अप्रार्थीगण ने प्रार्थीगण की आराजीयात में अवैध रूप से कब्जा कर प्रार्थीगण की आरजीयात को विक्रय व खुर्द बुर्द करने की धमकी दी तभी से वाद कारण निरन्तर जारी है।
7. अप्रार्थीगण प्रार्थीगण को उसके हक हिस्से की वादग्रस्त आराजीयात से बेदखल करना चाहते है जिस कारण अप्रार्थीगण प्रार्थीगण के साथ आये दिन लडाई झगडा करते है तथा जिस कारण अप्रार्थीगण को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जाना आवश्यक है कि वह वादग्रस्त आराजीयात को रहन विक्रय तथा खुर्द बुर्द न करें न करावें तथा राजस्व रिकार्ड कि यथास्थिति बनाये रखे।
8. अप्रार्थीगण का प्रथमदृष्टया केस प्रमाणित है यदि अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द नही किया गया तो प्रार्थीगण को ऐसी अपुर्णनीय क्षती कारीत होगी जिसकी पुर्ती अन्य रूप से संभव नही है तथा सुविधा का सन्तुलन भी प्रार्थीगण के पक्ष में है।

अतः प्रार्थीगण का प्रार्थनापत्र स्वीकार फरमाया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जावे कि वह वादग्रस्त आराजीयात को रहन विक्रय तथा खुर्द बुर्द न करे न करावे तथा राजस्व रिकार्ड कि यथास्थिति बनाये रखे।

वकील प्रार्थीगण की बहस के परिप्रेक्ष्य में पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रार्थी को अस्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने हेतु विधि के तीन बिन्दुओं को प्रमाणित करना होता है :–

1– प्रथम दृष्टया मामला
2– सुविधा का संतुलन
3– अपूरणीय क्षति

1– **<u>प्रथम दृष्टया मामला</u>**

पत्रावली पर प्रस्तुत अभिवचनों व दस्तावेजो से यह प्रमाणित होता है कि वाद ग्रस्त आराजीयात पुश्तैनी हैं । वादग्रस्त आराजीयात अप्रार्थीगण नं. 1 व 2 के नाम दर्ज रिकार्ड है जिसका फायदा उठाकर अप्रार्थीगण प्रार्थीगण को उसके हक हिस्से से महरून रखना चाहते है जबकि प्रार्थीगण का उक्त वादग्रस्त आराजीयात में जन्म से ही हक हिस्सा निहित है फिर भी अप्रार्थीगण प्रार्थीगण को उसके हक हिस्से की आराजीयात से मेहरून करने की गरज से वादग्रस्त आरजीयात को विक्रय हस्तारण व खुर्द बुर्द करने पर आमदा है जिस कारण अप्रार्थीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया आवश्यक है विपक्षी प्रार्थीगण को मौके से बेदखल करने पर आमादा है । इस आधार पर प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थीगण के पक्ष में प्रतीत होता है।

<u>2. सुविधा का संतुलन व अपूर्णीय क्षति :–</u>

चूंकि वादग्रस्त आराजीयात पुश्तैनी है। जिससे प्रार्थीगण का प्रथम दृष्टिया केश प्रमाणित है । तथा सुविधा का संतुलन भी प्रार्थीगण के पक्ष में है यदि विपक्षी को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द नहीं किया गया तो विपक्षी वादग्रस्त आराजीयात को हस्तान्तरीत करने में सफल हो जावे जिससे अपूर्णीय क्षति का सिद्धान्त भी प्रार्थीगण के पक्ष में है अतः सुविधा का संतुलन व अपूर्णीय क्षति के सिद्धान्त प्रार्थीगण के पक्ष में प्रतीत होता है। तीनो ही तात्विक बिन्दुओं को प्रार्थीगण साबित करने में सफल है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Praveen Kumar Meena
Date: 2026.03.27 10:23:40 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर
बड़ीसादड़ी

–:निर्णय:–

पत्रावली के अवलोकन से जाहिर होता है कि वाद ग्रस्त आराजीयात पुश्तैनी हैं। वादग्रस्त आराजीयात अप्रार्थीगण नं. 1 व 2 के नाम दर्ज रिकार्ड है जिसका फायदा उठाकर अप्रार्थीगण प्रार्थीगण को उसके हक हिस्से से महरून रखना चाहते है जबकि प्रार्थीगण का उक्त वादग्रस्त आराजीयात में जन्म से ही हक हिस्सा निहित है। यदि विपक्षी को जरीये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द नहीं किया गया तो विपक्षी वादग्रस्त आराजीयात को हस्तान्तरीत करने में सफल हो जावेगें । अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र 212 (प्र.सं. 6/2019) आर.टी.एक्ट. का स्वीकार कर आदेश दिया जाता है कि मौजा पालाखेड़ी पटवार हल्का भाणुजा की आराजी नं. 348, 382, 400/694 कुल किता 3 रकबा 1.20 हैक्ट. भूमि पर विपक्षीगण को पाबंद किया जाता है कि वे मूल वाद के निस्तारण तक किसी प्रकार से खुर्द बुर्द नहीं करे राजस्व रिकोर्ड की यथास्थिति बनाये रखे।

यह आदेश आज दिनांक 23.12.2025 को सरे इजलास लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

न्यायालय सहायक कलेक्टर बड़ीसादड़ी (चित्तौड़गढ़)

(प्रवीण कुमार मीणा)
सहायक कलक्टर
बडीसादडी

Signature Not Verified

Digitally signed by Praveen Kumar Meena
Date: 2026.03.27 10:23:40 IST
Reason: SelfAttested